Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

कमलेश कुमार बनाम **सरकार**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 497–503 बीएनएनएस, 2023

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे0वि0)** नं0 **013** सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी कमलेश कुमार पिता जगदीशचन्द्र सुथार निवासी बिछोर तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ की और से पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 060/2025 दिनांक 18.02.2025 अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अन्तर्गत धारा 7 व 8 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 व अन्तर्गत धारा 318(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GB 5931** को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 497–503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/1835 दिनांक 22.04.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन मालिक को सिपुर्द किये जाने में किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया। थानाधिकारी सदर से प्राप्त टिप्पणी/अभिमत को रिकार्ड पर लिया जाता है। शमिल पत्रालवी रहे है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 060/2025 दिनांक 18.02.2025 अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अन्तर्गत धारा 7 व 8 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 व अन्तर्गत धारा 318(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत प्रकरण संख्या 001/2025(रसद) दर्ज होकर विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एवं यूरिया का निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 001/2025(रसद) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया। प्रकरण संख्या 001/2025(रसद) में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GB 5931** इंजन नंबर **61F84320208** चेचीस नंबर **MAT447224G5G12529** को प्रार्थी कमलेश कुमार पिता जगदीशचन्द्र जाति सुथार निवासी बिछोर तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ रुपये 15,00,000/– अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तो पर सुिपर्दगी में दिये जाने का आदेश दिए गये है, अतः मूल प्रकरण के निर्णयाानुसार पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/d- (आलोक रंजन) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 30.04.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	